
	राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	
---	---	---

क्रमांक: प.27(1)(39)/निमअ/लाप्रोयो/2024/02384

जयपुर, दिनांक:

1. जिला कलेक्टर समस्त
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता, समस्त

विषय:- "लाडो प्रोत्साहन योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लेखानुदान घोषणा (2024-25) बिन्दु (34) की अनुपालना में राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए "लाडो प्रोत्साहन योजना" प्रारम्भ की जा रही है। यह योजना दिनांक 01.08.2024 से सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जिला स्तर पर, महिला अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(डॉ० मोहन लाल यादव)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: प.27(1)(39)/निमअ/लाप्रोयो/2024/02384

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग।
6. मिशन निदेशक, (एनएचएम), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
7. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य/ आईईसी/आरसीएच/एड्स।
9. वित्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समस्त संभाग।
12. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
13. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
14. समस्त उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
17. समस्त जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी।
18. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
19. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9308950



Signature valid

Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Designation: Secretary to Government
Date: 2024.07.30 15:02:59 IST
Reason: Approved